बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 392588 पटना, दिनांक 08-10-18

ग्रा०वि०-10/बजट- 17/2018

प्रेषक,

राधा किशोर झा, भा.प्र.से.,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
बेगूसराय, सहरसा, मधुबनी, गया, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, सिवान, जहानाबाद, गोपालगंज, सारण, शेखपुरा, शिवहर, जमुई, कटिहार, खगड़िया, समस्तीपुर, सीतामढ़ी एवं औरंगाबाद ।

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2018-19 में "बजट शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-0001-प्रखंड स्थापना" के अंतर्गत राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के "28 02 संविदा सेवाएं" अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार कुल **38573300.00 (तीन करोड़ पच्चासी लाख तिहत्तर हजार तीन सौ रुपये) एवं** "06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति" के अंतर्गत **416300.00 (चार लाख सोलह हजार तीन सौ रुपये)** मात्र अर्थात कुल **38989600.00 (तीन करोड़ नवासी लाख नवासी हजार छः सौ रुपये)** मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2) यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 दिनांक 17.04.1998, 3244 दिनांक 04.05.18 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3) प्रखंड स्थापना को छोड़कर अन्य किसी स्थापना अर्थात जिला / नजारत / अनुमंडल स्थापना के लिए इस शीर्ष में आवंटित राशि का उपावंटन नहीं किया जाय और आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जांच पड़ताल के बाद ही की जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4) माननीय न्यायालय से संबंधित आदेश के कार्यान्वयन में सर्वप्रथम प्राथमिकता के आधार पर आवंटित राशि का व्यय किया जाय। न्यायालय संबंधी आदेश के कार्यान्वयन में शिथिलता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

5) "संविदा सेवाएं" अंतर्गत आवंटित राशि संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु आवंटित की जा रही है । सीतामढ़ी, बेगूसराय, गया, जहानाबाद, शेखपुरा, कटिहार एवं खगड़िया के लिए प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी एवं सेवानिवृत्त नियोजित कर्मी, भोजपुर, मोतिहारी, सिवान एवं जमुई के लिए प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी तथा औरंगाबाद, मधुबनी, गोपालगंज एवं सारण के लिए सेवानिवृत्त नियोजित कर्मी हेतु राशि आवंटित है। "चिकित्सा

प्रतिपूर्ति" अंतर्गत आवंटित राशि समस्तीपुर जिला द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए की गई अधियाचना के आलोक में आवंटित है।

6) कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7) वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके। इस आवंटन के विरूद्ध वास्तविक व्यय का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान किया जाय ताकि विभागीय आंकड़ों एवं महालेखाकार के आंकड़ों में भिन्नता न हो।

8) किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णत: संतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाय। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9) इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है।

10) आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव की सहमति प्राप्त है।

11) इसकी मांग संख्या- 42 एवं विपत्र कोड संख्या- 42-2515001020001 है।

12) इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(राधा किशोर झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 392588 पटना, दिनांक 08.10.18

ग्रा०वि०-10/बजट- 17/2018

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी / आई० टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ग्रामीण विकास विभाग

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2018-19 में "बजट शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-0001-प्रखंड स्थापना" (विपत्र कोड 42-2515001020001 एवं मांग संख्या-42) के तहत अंतर्गत आवंटित राशि

क्र0	जिला	28 02 संविदा सेवाएं	06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	कुल योग	
1	2	3	4	5	
1	बेगूसराय	4369900	_	4369900	(तैंतालीस लाख उन्हत्तर हजार नौ सौ रुपये)
2	सहरसा	3531400	_	3531400	(पैंतीस लाख इकतीस हजार चार सौ रुपये)
3	मधुबनी	3000000	_	3000000	(तीस लाख रुपये)
4	गया	4000000	_	4000000	(चालीस लाख रुपये)
5	भोजपुर	2183000	_	2183000	(इक्कीस लाख तेरासी हजार रुपये)
6	पूर्वी चम्पारण	1770000	_	1770000	(सत्रह लाख सत्तर हजार रुपये)
7	सिवान	295000	_	295000	(दो लाख पंचानवे हजार रुपये)
8	जहानाबाद	739200	_	739200	(सात लाख उन्चालीस हजार दो सौ रुपये)
9	गोपालगंज	3993200	_	3993200	(उनचालीस लाख तिरानवे हजार दो सौ रुपये)
10	सारण	1205600	_	1205600	(बारह लाख पांच हजार छः सौ रुपये)
11	शेखपुरा	1415100	_	1415100	(चौदह लाख पंद्रह हजार एक सौ रुपये)
12	शिवहर	720000	_	720000	(सात लाख बीस हजार रुपये)
13	जमुई	1062000	_	1062000	(दस लाख बासठ हजार रुपये)
14	कटिहार	4000000	_	4000000	(चालीस लाख रुपये)
15	खगड़िया	1913600	_	1913600	(उन्नीस लाख तेरह हजार छः सौ रुपये)
16	सीतामढ़ी	3614800	_	3614800	(छत्तीस लाख चौदह हजार आठ सौ रुपये)
17	औरंगाबाद	760500	_	760500	(सात लाख साठ हजार पॉच सौ रूपये)
18	समस्तीपुर	_	416300	416300	(चार लाख सोलह हजार तीन सौ रुपये)
योग		**38573300**	**416300**	**38989600**	**(तीन करोड़ नवासी लाख नवासी हजार छः सौ रुपये)**

(राधा किशोर झा)

सरकार के संयुक्त सचिव